

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1727 /

जबलपुर, दिनांक 09/07/2020

II-14-56/2020

श्रीमती बरखा शर्मा, Senior Personal Assistant, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-ग्वालियर को म.प्र. सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977 के अवकाश नियम 38 के अनुसार दिनांक 27.05.2020 से 20.11.2020 तक 178 दिवस का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/-

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

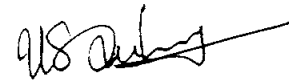
पृष्ठांकन क्रमांक C/1728 /

जबलपुर, दिनांक 09/07/2020

II-14-56/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (मोप्रो) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2518/स्था. ग्वालियर दिनांक 15/06/2020 के संदर्भ में श्रीमती बरखा शर्मा, Senior Personal Assistant, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर का आवेदन पत्र एवं सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू.एस. दुबे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

::-::

//A.L.//